INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP85145438719447Y

₹2,900

Certificate No.	:	IN-UP85145438719447Y
Certificate Issued Date	:	01-Apr-2026 11:34 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14136904/ MEERUT/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14136904650618646542O8Y
Purchased by	:	NEELKANTH EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	NEELKANTH EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	RUDRA COLLEGE OF LAW
Stamp Duty Paid By	:	NEELKANTH EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,900 (Two Thousand Nine Hundred only)

सत्यमेव जयते

₹2,900

IN-UP85145438719447Y

Please write or type below this line

Anjali

Anjali

Secretary
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

PF 0027757816

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अंकन 2900/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP85145438719447Y संलग्न है।

लीज डीड अवधि तीस वर्ष।

औसत वार्षिक किराया 12,000/-रूपये यानि 1000/-रूपये औसत मासिक है जिस पर अंकन 2900/-रूपये का स्टाम्प अदा है।

हमकि नीलकण्ठ एजुकेशनल ट्रस्ट, बी-01, शास्त्री नगर, शहर मेरठ द्वारा सचिव एवं अधिकृत हस्ताक्षरी श्रीमति अंजली तोमर पुत्री स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह निवासी ए-23, शास्त्री नगर, शहर मेरठ...........प्रथम पक्ष।मालिक।

व रूद्रा कॉलेज ऑफ लॉ, ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ द्वारा सचिव श्रीमति अंजली तोमर पुत्री स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह निवासी ए-23, शास्त्री नगर, मेरठ................द्वितीय पक्ष।किरायेदार।

जोकि शैक्षिक प्रयोजन की अकृषि भूमि क्षेत्रफल 7965.00 वर्गमीटर, मध्ये खसरा नं० 107, स्थित ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ जिसमें तीन मंजिला इमारत बनी हुई है, जिनमें करीब 2100.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल कवर्ड है कि जो स्वामित्व व अधिपत्य प्रथम पक्ष का है, तथा प्रथम

Anjali

Anjali

Secretary
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

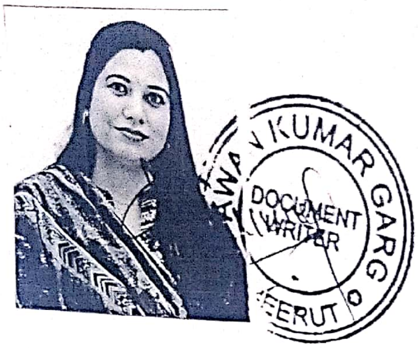

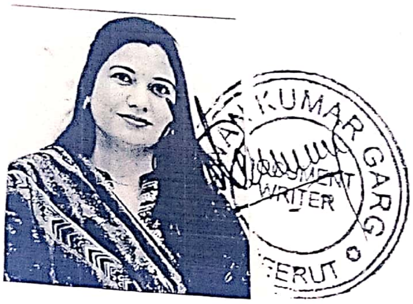

Scanned with OKEN Scanner

अंकन 2900/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP85145438719447Y संलग्न है।

पक्ष का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में बहैसियत मालिक दर्ज चला आता है जिसे प्रथम पक्ष को अपने उद्देश्यों के अनुरूप समउद्देश्यों की संस्था को विधि शैक्षिक व उससे सम्बन्धित शिक्षण कार्य हेतु पट्टे पर उठाने का अधिकार है जिसे द्वितीय पक्ष अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतू विधि शिक्षा एव उससे सम्बन्धित शिक्षण कार्य के लिये पट्टे पर लेना चाहते है जिसका विधिक रूप में लिखित में आना आवश्यक है इसलिये अब यह विलेख निष्पादित कर रजिस्ट्री कराया जा रहा है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में फरीकैन इकरार करके लिख देते हैं कि निम्नलिखित नियमों के बन्धन में रहेंगे।

1. यहकि सम्पत्ति उक्त को विधि शैक्षिक व अन्य शिक्षण प्रयोजनार्थ किराये पर देने के लिए द्वितीय पक्ष ने आग्रह किया है और अंकन 12,000/-रूपये (बारह हजार रूपये) वार्षिक लीज/किराये पर देने का प्रस्ताव रखा है जिस पर दोनों पक्षकार रजामन्द व सहमत है और सम्पत्ति उक्त प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष किरायेदार/पटेटदार के कब्जे में दे दी हैं।

Anjali

Anjali

Secretary
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

अंकन 2900/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP85145438719447Y संलग्न है।

2. यहकि उक्त किरायानामा/लीज केवल तीस वर्ष यानि दिनांक 01-04-2025ई0 से दिनांक 31-03-2055ई0 तक के लिए लिखा जा रहा है उक्त अवधि के बाद उक्त लीज डीड स्वतः ही खण्डित हो जायेगी।

3. यहकि द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति में विधि शैक्षिक व अन्य शिक्षण कार्य के लिए अपनी इच्छानुसार बिल्डिंग बनाने व कार्य आदि करने व परिवर्तन आदि का अधिकार होगा।

4. यहकि किरायेदारी का वर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह यानि अप्रैल माह की पहली से अन्तिम माह यानि मार्च माह के अंतिम दिवस तक किरायेदारी का वर्ष होगा तथा किराया वार्षिक द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष अदाकरेंगे।

5. यहकि आज से तीस वर्ष बाद किरायेदारी जारी न रहने पर द्वितीय पक्ष हर हालत में उक्त सम्पत्ति को अपने कब्जे व किरायेदारी से प्रथम पक्ष के कब्जे व दखल में दे देंगे और किसी तरह का कोई एतराज करने का अधिकार नहींहोगा।

6. यहकि प्रथम पक्ष इस अवधि में सम्पत्ति उक्त को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

Anjali

Anjali

Secretary
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

अंकन 2900/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP85145438719447Y संलग्न है।

7. यहकि द्वितीय पक्ष जब भी सम्पत्ति उक्त अपने कब्जे किरायेदार से खाली करेंगे तो सम्पत्ति उक्त को आज की ही शक्ल में प्रथम पक्ष के कब्जे में देने के लिए जिम्मेदार होगें।

8. यहकि उक्त लीज डीड में कोई संशोधन या परिवर्तन उभय पक्ष की सहमति से ही किया जा सकेगा यानि नियुक्त अवधि के अन्दर उभय पक्ष सहमति से ही लीज डीड समाप्त करने का अधिकार होगा।

9. यहकि उपरोक्त कियायानामा पट्टे के पावन्द पक्षकारान व वारिसान पक्षकारान भी होंगे। अतः यह किरायानामा/पट्टा विलेख मियादी तीस वर्ष लिखा दिया कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।।इति।।

Anjali

Anjali

Secretary
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

S. Vashistha

गवाह

Sohanveer S/o Satendra Kumar, Vill- Jeetpur, M...

गवाह

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

तहरीर तारीखः-01.04.2026ई0मसविदा पवन कुमार गर्ग दस्तावेज लेखक

PAWAN KUMAR GARG
DOCUMENT WRITER
MEERUT

Scanned with OKEN Scanner

14591

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 348338

(ॐ)

विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार -(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य:-कृषि
2. वार्ड परगना: मेरठ
3. मौहल्ला/ग्राम- ग्राम मवानीखुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ
4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं0)- भूमि भूमिधरी खसरा नं0 107 रकबई 1.5930 हैक्टेयर का 1/2 भाग यानि कुल हक व हिस्सा जानिबे उत्तर पश्चिम जिसका क्षेत्रफल 0.7965 हैक्टेयर
5. मापन की ईकाई(हैक्टेयर/वर्गमीटर)- हैक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल. 0.7965 हैक्टैयर
7. सडक की स्थिति(परिशिष्ट के अनुसार).- लागू नही
8. अंन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)- लागू नही
9. सम्पत्ति का प्रकार:-. प्लाट/फलैट/मकान/दुकान/कृषि कृषि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल(बहुमंजिला भवन की स्थिति में.- लागू नही

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

— 1 AUG 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 348337

11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल - लागूनही

12. स्थिति-फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य.-लागू नही

13. पेडो का मूल्यांकन. लागू नही

14. बोरिंग/कुऑ/अन्य..बोरिंग अनुमानित कीमत 20,000/-रूपये

15. प्रतिफल की धनराशि. 20,40,000/-रूपये व मा0 20,40,000/-.रूपये में

प्रथम पक्ष विक्रेता का विवरण

1. नाम. श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी श्री अनूप गर्ग निवासी 210बी/44 वैस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट द्वारा मुख्तारे आम अनूप गर्ग पुत्र श्री सुर्दशन लाल गर्ग निवासी निवासी 210बी/44 वैस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट व्यवसाय अन्य

2. नाम. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मुकुट लाल मांगलिक निवासी 184, खारी कुंआ पुरानी तहसील मेरठ शहर व्यवसाय अन्य

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 107445

(3)
1 AUG 2011

2. द्वितीय पक्ष क्रेता का विवरण

1. नाम- नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट जागृति विहार मेरठ द्वारा सचिव श्री डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह तोमर निवासी शास्त्री नगर शहर मेरठ व्यवसाय अन्य

विक्रय पत्र

1. स्टाम्प शुल्क 1,02,000/- रूपये (एक लाख दो हजार रूपये)।

2. बैनामा–विक्रय मूल्य व स्टाम्प देने के लिये मालियत 20,40,000/-रूपये (बीस लाख चालीस हजार रूपये)।

3. यह कि भूमि भूमिधरी विक्रीत नगर पालिका व विकास क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

4. यह कि भूमि भूमिधरी विक्रीत कृषि प्रयोजन की है और क्रेता ने कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजन शिक्षण कार्य हेतु क्रय की है।

5. यहकि विक्रेता व क्रेता अनूसूचित जाति व जनजाति के नहीं है और इस विक्रय में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 107446

1 AUG 2011

8. यह कि मूल्यांकन की गणना के लिये जिलाधिकारी द्वारा जारी दर सूची के अनुसार नगर पालिका व विकास क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले विशिष्ट ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर की कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजन हेतू दर 22,00,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। विक्रीत भूमि भूमिधरी केवल लिंक पर स्थित है इसलिये भूमि की दर में 15% प्रतिशत अतिरिक्त जोडकर यानि 25,30,000/-रूपये हैक्टेयर की दर से मूल्यांकन किया गया है तथा विक्रीत भूमि भूमिधरी मे एक बोरिंग लगा है जिसकी अनुमानित कीमत अकंन 20,000/-रूपये मानी गयी है।

हमविर्क श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी श्री अनूप गर्ग निवासी 210बी/44 वैस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट द्वारा मुख्तारे आम श्री अनूप गर्ग पुत्र स्व0 श्री सुर्दशन लाल गर्ग निवासी निवासी 210बी/44 वैस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट द्वारा मुख्तारनामा

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 107447

(5)

आम रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 20-8-2007ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 जिल्द 202 के सुफे 299/308 मे नं0 410 पर कार्यालय सब रजिस्ट्रार मेरठ चतुर्थ हुई, कि जो आज तक वैध है, व श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मुकुट लाल मांगलिक निवासी 184, खारी कुंआ पुरानी तहसील मेरठ शहर.......विक्रेता। व नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट जागृति विहार मेरठ द्वारा सचिव डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह तोमर निवासी शास्त्री नगर शहर मेरठ.........क्रेता। जोकि भूमि भूमिधरी खसरा नं0 107 रकबई 1.5930 हैक्टेयर का 1/2 भाग यानि कुल हक व हिस्सा जानिबे उत्तर पश्चिम जिस भागका क्षेत्रफल 0.7965 हैक्टेयर वाकै ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ जो केवल लिंक मार्ग पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है जिसकी सिचाई नलकूप से होती है जो विक्रय मे शामिल है तथा विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के नहीं

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

W 107448

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

1 AUG 2011

है इसलिये इस विक्रय में कोई वैधानिक बाधा नहीं है भूमि भूमिधरी उक्त मिलकियत व मकबूजा व भूमिधरी व काश्त में विक्रेता के है कि जिस पर भू-अभिलेखों में विक्रेता का नाम संक्रमणीय भूमिधर में दर्ज है और विक्रेता भूमि भूमिधरी उक्त मे भूमिधर व उसको विक्रय आदि करने के पूर्णतः अधिकारी हैं कि जो आज .की तारीख तक हर प्रकार के बोझ, ऋण व बन्धन व दोष वैधानिक व हस्तान्तरण वगैरा वगैरा से कतई तौर पर मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है विक्रय करने में ही लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में बिना किसी के दबाव व धमकाव व बहकाव के समस्त व सम्पूर्ण भूमि भूमिधरी उपरोक्त को मय समस्त अधिकार दाखली व खारजी सहित बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र दस्तावेज हाजा में किया गया हो अथवा नहीं बमुकाबले

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 107449

(7) 1 AUG 2011

मुबलिग 20,40,000/-रूपये (बीस लाख चालीस हजार रूपये) आधे जिसके अंकन 10,20,000/-रूपये (दस लाख बीस हजार रूपये) होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट जागृति विहार मेरठ द्वारा सचिव डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह तोमर निवासी शास्त्री नगर शहर मेरठ को पूर्ण रूप से विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से निम्नलिखित विवरण के अनुसार वसूल पाकर भूमि भूमिधरी विक्रीत उपरोक्त को अपने कब्जे दखल व तहत मिलकियत एवं काश्त व बो-जोत से निकालकर बकबजे दखल व तहत मिलकियत एंव काश्त से भिन्न अन्य प्रयोजन हेतू क्रेता को देकर क्रेता को भूमि भूमिधरी विक्रीत पर पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील व वाकई कर दिया। भूमि भूमिधरी विक्रीत का स्थल पर कब्जा विक्रेता ने क्रेता को देकर, विक्रेता ने क्रेता को भूमि भूमिधरी उक्त पर पूर्ण रूप से काबिज कर दिया अब विक्रेता व

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 107450

18 AUG 2011

विक्रेता के वारसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमि भूमिधरी विक्रीत उक्त या उसके किसी भाग से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ भूमि भूमिधरी विक्रीत उपरोक्त आज की तारीख तक हर प्रकार से मुक्त व रहित है और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपन लिये इस्तेमाल मे लायें और क्रेता को अधिकार होगा, उक्त भूमि में अपनी इच्छानुसार काश्त करे और ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजन हेतू इस्तेमाल करें और लाभान्वित हों तथा हस्तांन्तिरत करें और ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बन्धक रखें तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना नाम राजस्व के भू-अभिलेखों में दर्ज करावें नाम दर्ज कराने में विक्रेता के हस्ताक्षरों व रज़ामन्दी की जहां कहीं भी आवश्यकता होगी तो उसमें विक्रेता को कुछ उज्र व एतराज ना होगा तथा भूमि भूमिधरी विक्रीत उक्त के आज तक के समस्त देय आदि

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(91) 1 AUG 2011 W 107451

की अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज [illegible] क्रेता की होगी तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वह भूमि भूमिधरी उक्त को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतू अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल में लाये व हस्तान्तरित व बन्धक आदि करे। यदि बदावेदारी किसी सहिम व शरीक या बवजह किसी नुक्स कानूनी कुल या अंश कब्जा दखल भूमि भूमिधरी विक्रीत उक्त क्रेता से निकल जाये या भूमि भूमिधरी विक्रीत पर कोई भार पाया जाये तो ऐसी सूरत में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल या अंश जरे मूल्य मय बार अदा करदा सहित बजरिये अदालत मय खर्चा अदालती विक्रेता व विक्रेता के वारसान से व विक्रेता व विक्रेता के वारसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल कर लेवे जिसमें विक्रेता व विक्रेता के वारसान को कुछ उज्र व एतराज ना होगा। इस विलेख का समस्त व्यय विक्रेता ने वहन किया है अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1 0) 1 AUG 2011 W 107452

विवरण प्राप्ति विक्रय धन।

1. अकंन 7,44,000/-रूपये(सात लाख चवालिस हजार रूपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता चैक नं0 022969 इलाहाबाद बैंक मेरठ का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

2. अकंन 4,96,000/-रूपये(चार लाख छियानवें हजार रूपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता चैक नं0 022970 इलाहाबाद बैंक मेरठ का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUL 2011

T 697400

(11)

... 2,00,000/-रुपये(दो लाख रुपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता ... नं0 036164 दिनांक 17-5-2010ई0 इलाहाबाद बैंक मेरठ का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

4. अर्कन 1,00,000/-रुपये(एक लाख रुपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता चैक नं0 036165 दिनांक 17-5-2010ई0 इलाहाबाद बैंक मेरठ का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 697401

(1 2)

5. अकंन 5,00,000/-रुपये(पांच लाख रुपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता चेक नं0 019331 दिनांक 27-8-2010ई0 इलाहाबाद बैंक मेरठ का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

मिजान: कुल अकंन 20,40,000/-रुपये(बीस लाख चालीस हजार रुपये)।

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 439503

(13)

विक्रेता नं० 1 के अंगुलियों के निशान

बायां हाथ

दायां हाथ

विक्रेता नं० 2 के अंगुलियों के निशान

बाया हाथ

दाया हाथ

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

1000/-

रैता नं.
MT-122/2007-00
सिविल कोर्ट, मेरठ

आज दिनांक 07/12/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 3117

पृष्ठ सं. 45 से 72 पर क्रमांक 14591

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
मवाना
7/12/2011

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

↓ Download PDF ← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

23/March/2026 10:11:48 AM

जनपद : मेरठ
ग्राम कोड : 118757

तहसील : मवाना
फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

ग्राम : मवाना खुर्द
खाता संख्या : 00172

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
107	1) डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र महेन्द्र सिंह / निवासी ए-23 ,शास्त्री नगर ,शहर मेरठ / सचिव नील कंठ एजूकेशनल ट्रस्ट 581/2 जागृति विहार ,शहर मेरठ		1416फ0	107 (118757010700012)	1.5930	1) 1/1	1) 1.5930	60.00
							1.5930	

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : एक दशमलव पांच नौ तीन शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : छह शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफ[illegible] लव पांच नौ तीन शून्य (हेक्टेयर)

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

सलग्नक 03

30-03-2026 11:59

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80): 1432फ० न्यायालय उप जिलाधिकारी मवाना वाद संख्या T202024035069 अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 रुद्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी द्वारा अध्यक्ष डा0 सोमेन्द्र सिंह तोमर बनाम उ0प्र0 सरकार ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ पत्रांक 459/आर0सी0/2024 दिनांक 13.09.2024 उपरोक्त वाद मे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है। " ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ स्थित भूमि खसरा संख्या 94/4 रकबा [illegible]हे0 मे से रकबा 0.0680हे0, खसरा संख्या 94/1 रकबा 0.2723हे0, खसरा संख्या 93 रकबा 0.7710हे0 मे से रकबा 0.6680हे0, खसरा संख्या 105/3 रकबा [illegible]हे0, खसरा संख्या 105/2 रकबा 0.3490हे0, खसरा संख्या 105/1 रकबा 0.3520हे0, खसरा संख्या 110 रकबा 0.3800हे0, खसरा संख्या 107 रकबा 1.5930हे0 मे से रकबा 0.7965हे0, खसरा संख्या 105/4 रकबा [illegible]हे0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006/उ0प्र0 राजस्व संहिता(संशोधन) अधिनियम की धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत यह घोषणा की जाती है कि उक्त भूमि का प्रयोग अकृषिक/कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 80 उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदक प्रश्नगत भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपरोक्तानुसार धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत की गयी उक्त घोषणा को उप धारा (1) की घोषणा से आच्छादित कराने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006/उ0प्र0 राजस्व संहिता(संशोधन) अधिनियम की धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत यदि आवेदक इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो उपधारा (2) के अधीन की गयी उक्त घोषणा स्वतः ही व्यपगत हो जायेगी। साथ ही प्रतिबन्ध यह भी होगा कि किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य सरकारी संस्था द्वारा यदि कोई शर्तें/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे। यदि किसी प्राधिकरण अथवा अन्य सरकारी संस्था के विरूद्ध कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। " आर.सी.नं.1509/17.09.2024आर-6/17.09.2024 (डिजिटल हस्ताक्षर: AJAY KUMAR AGNIHOTRI / 19-09-2024)

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1420फ0 न्यायालय असिस्टैन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी) / उपजिलाधिकारी मवाना (मेरठ) वाद सं020 अन्तर्गत धारा 143जमी0वि0अधि0नीलकण्ठ एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा डा0सोमेन्द्र बनाम सरकार ग्राम मवानाखूर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना दि031.07.2012

2) भूमि स्थित ग्राम मवानाखूर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ के खाता सं082के ख0न0107 क्षेत्र0 1.593है0के 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.7965है0 भूमि को तहसीलदार मवाना की आख्या दिनांक 31.07.2012के आधार पर शासनादेश के क्रम

3) मे स्टाम्प अपर्वचना रोकने के उददेश्य से धारा -143 जमी0वि0अधि0के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है । ह0(अरविन्द कुमार मिश्र) असिस्टैन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी)/उपजिलाधिकारी मवाना । आर-6/08.08.2012

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 118757202603835

ग्राम क्रमांक : 118757	ग्राम का नाम (परगना) : मवाना खुर्द(हस्तिनापुर)	तहसील : मवाना	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00172

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
107	1) डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र महेन्द्र सिंह / निवासी ए-23 ,शास्त्री नगर ,शहर मेरठ / सचिव नील कंठ एजूकेशनल ट्रस्ट 581/2 जागृति विहार ,शहर मेरठ		1416फ0	107(1187570107000012)	1.5930	1) 1/1	1) 1.5930	60.00
							1.5930	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 1.5930 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 60.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (1.5930)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

Scanned with OKEN Scanner

	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		
		107(1187570107000012)	.		107(1187570107000012)	

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1432फ० न्यायालय उप जिलाधिकारी मवाना वाद संख्या T802024035069 अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 रूद्रा इन्सटीटयूट आफ टैक्नोलोजी द्वारा अध्यक्ष डा0 सोमेन्द्र सिंह तोमर बनाम उ0प्र0 सरकार ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ पत्रांक 459/आर0ए0/2024 दिनांक 13.09.2024 उपरोक्त वाद मे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है। " ग्राम मवाना खुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ स्थित भूमि खसरा संख्या 94/4 रकबा 0.1022है0 मे से रकबा 0.0680है0, खसरा संख्या 94/1 रकबा 0.2723है0, खसरा संख्या 93 रकबा 0.7710है0 मे से रकबा 0.6680है0, खसरा संख्या 105/3 रकबा 0.3460है0, खसरा संख्या 105/2 रकबा 0.3490है0, खसरा संख्या 105/1 रकबा 0.3520है0, खसरा संख्या 110 रकबा 0.3800है0, खसरा संख्या 107 रकबा 1.5930है0 मे से रकबा 0.7965है0, खसरा संख्या 105/4 रकबा 0.0100है0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006/उ0प्र0 राजस्व संहिता(संशोधन) अधिनियम की धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत यह घोषणा की जाती है कि उक्त भूमि का प्रयोग अकृषक/कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 80 उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदक प्रश्नगत भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपरोक्तानुसार धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत की गयी उक्त घोषणा को उप धारा (1) की घोषणा से आच्छादित कराने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006/उ0प्र0 राजस्व संहिता(संशोधन) अधिनियम की धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत यदि आवेदक इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो उपधारा (2) के अधीन की गयी उक्त घोषणा स्वतः ही व्यपगत हो जायेगी। साथ ही प्रतिबन्ध यह भी होगा कि किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य सरकारी संस्था द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे। यदि किसी प्राधिकरण अथवा अन्य सरकारी संस्था के विरूद्ध कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। " आर.सी.नं.1509/17.09.2024आर-6/17.09.2024 (डिजिटल हस्ताक्षर : AJAY KUMAR AGNIHOTRI / 19-09-2024)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1420फ0 न्यायालय असिस्टैन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी) / उपजिलाधिकारी मवाना (मेरठ) वाद सं020 अन्तर्गत धारा 143जमी0वि0अधि0नीलकण्ठ एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा डा0सोमेन्द्र बनाम सरकार ग्राम मवानाखुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना दि031.07.2012

2) भूमि स्थित ग्राम मवानाखुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ के खाता सं082के ख0न0107 क्षेत्र0 1.593है0के 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.7965है0 भूमि को तहसीलदार मवाना की आख्या दिनांक 31.07.2012के आधार पर शासनादेश के क्रम

Scanned with OKEN Scanner

3) मे स्टाम्प अपर्वचना रोकने के उददेश्य से धारा -143 जमी0वि0अधि0के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है । ह0(अरविन्द कुमार मिश्र) असिस्टैन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी)/उपजिलाधिकारी मवाना । आर-6/08.08.2012

Data Digitally Signed by:AJAY KUMAR AGNIHOTRI(REGISTRAR KANOONGO) दिनाँक/समय/स्थान: 30-03-2026 11:58:36 तहसील : मवाना यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : AJAY AGNIHOTRI तहसील : मवाना मुद्रित दिनांक एवं समय: 30-03-2026 11:58:36 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वैरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Scanned with OKEN Scanner

नजरी नक्शा
बाबत खसरा नम्बर 107/ 0.7965 हेक्टेयर
ग्राम - मवानाखुर्द परगना - हस्तिनापुर
तह० - मवाना जनपद - मेरठ

प्रस्तावित स्थल - रुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ
ग्राम - मवानाखुर्द

लिंक रोड सड़क पक्की चौड़ाई 20 फुट

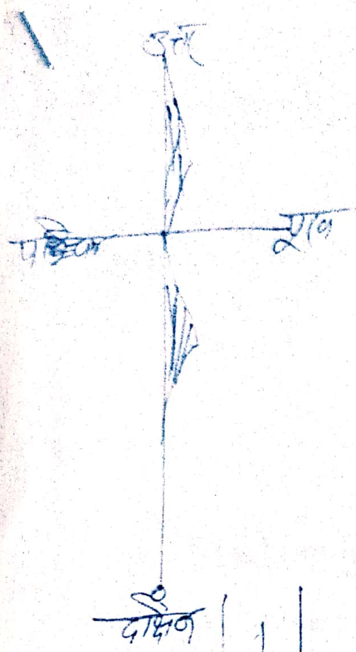

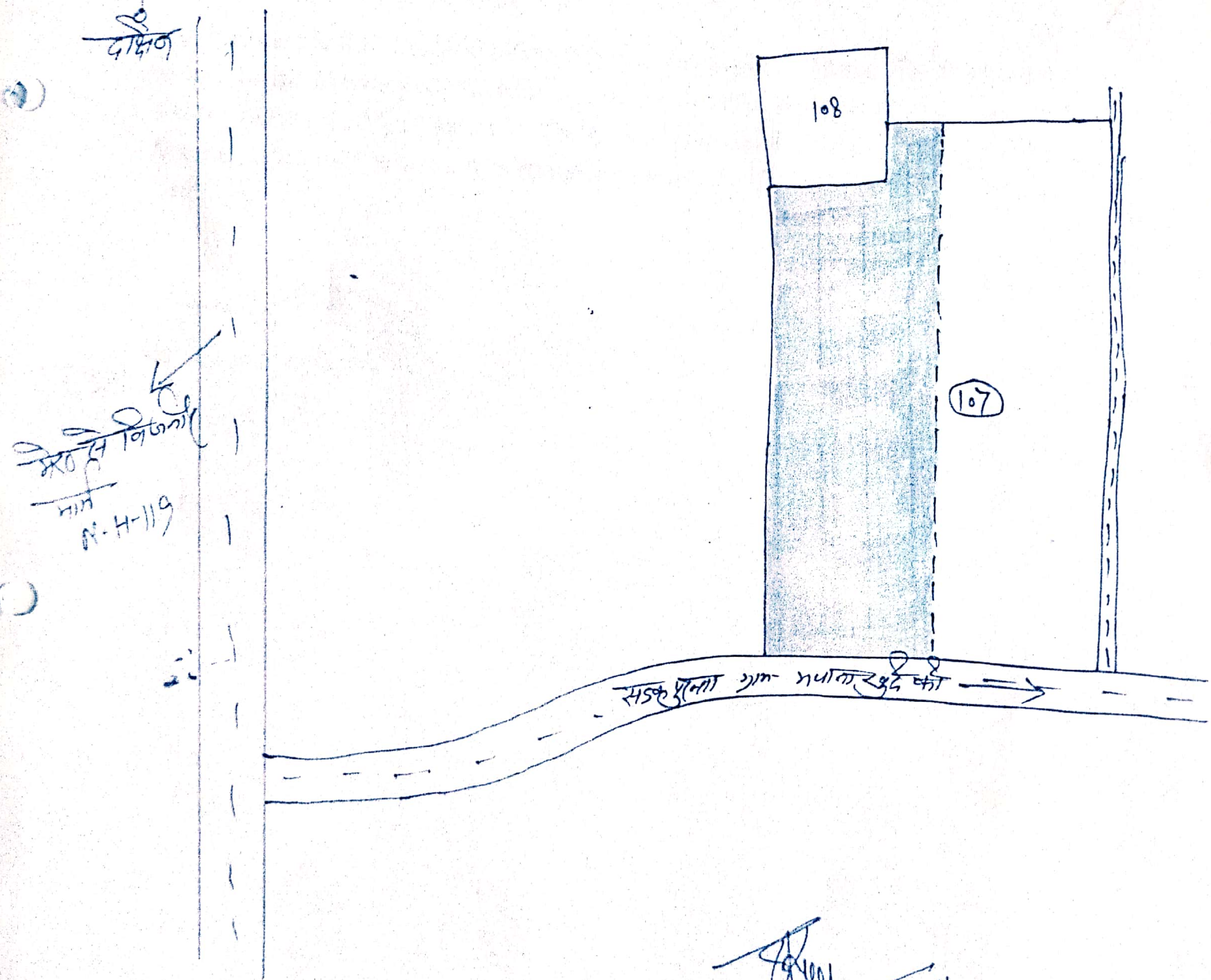

7-3-14

सुशील प्रसाद शर्मा
प्र० – राजस्व निरीक्षक, मवाना

Chairman
Rudra College of Law
Mawana Khurd, Meerut

Scanned with OKEN Scanner